भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4201
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः एफपीओ को बढ़ावा देने की योजना

4201. **श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः**
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री अरुण गोविलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के लिए कोई समर्पित योजना शुरू की है और यदि हाँ, तो उक्त योजना के तहत देशभर में कितने एफपीओ बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसे संगठनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान एफपीओ को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देवास-शाजापुर, मध्य प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के संवर्धन और समर्थन के लिए कोई विशेष योजना लागू कर रही है;

(घ) जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत देवास-शाजापुर में पंजीकृत एफपीओ की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या इन एफपीओ को वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण सहायता, बाज़ार संपर्क और कृषि-बुनियादी ढाँचा प्रदान किया गया है; और

(च) क्षेत्र में एफपीओ को बढ़ावा देने में पहचानी गई प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन" के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, देश भर में 10,000 एफपीओ का पंजीकरण किया गया है।

(ख): इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक एफपीओ के लिए 3 वर्षों में 18 लाख रुपये की एफपीओ प्रबंधन लागत उपलब्ध है। एफपीओ प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये तक का मैचिंग इक्विटी अनुदान (प्रति किसान 2000 रुपये के अंशदान के लिए) का लाभा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना में पात्र ऋणदाता संस्थानों से 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा भी प्रदान की गई है। जून, 2025 तक इस योजना के अंतर्गत एफपीओ प्रबंधन लागत के रूप में 617.2 करोड़ रुपये और मैचिंग इक्विटी अनुदान के रूप में 361.5 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 30.06.2025 तक 2,360 एफपीओ को कवर करते हुए 3,212 क्रेडिट गारंटियां जारी की गई हैं, जिनकी स्वीकृत ऋण राशि ₹708.26 करोड़ और गारंटी कवर ₹593.75 करोड़ है।

(ग) से (ङ): यह योजना मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर क्षेत्र में भी कार्यान्वित की गई है। जुलाई 2025 तक देवास-शाजापुर में इस योजना के तहत 30 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। एफपीओ को इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण समर्थन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। जुलाई 2025 तक देवास और शाजापुर में इक्विटी अनुदान के रूप में ₹126.41 लाख और एफपीओ प्रबंधन लागत ₹202.36 लाख जारी किए गए हैं। वित्तीय सहायता के अलावा, इन एफपीओ को क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के जरिए आयोजित प्रशिक्षणों के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जा रही है। डिजिटल मार्केट तक पहुंच के लिए एफपीओ को ई-एनएएम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार), ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क) आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा ऑनबोर्ड किया गया है।

(च): समुदाय-आधारित संस्थाएं होने के कारण, एफपीओ को अपने प्रारंभिक व्यावसायिक चरणों में संचालन, संस्थागत और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनके समाधान हेतु, इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i. 5 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने हेतु सीबीबीओ की तैनाती।
ii. प्रबंधन लागत के रूप में प्रति एफपीओ ₹18 लाख तक का प्रावधान और प्रति किसान सदस्य ₹2,000 अंशदान के अनुरूप प्रति एफपीओ ₹15 लाख तक का इक्विटी अनुदान।
iii. संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी सुविधा।
iv. राज्य सरकारों के समन्वय से, एफपीओ को सीड, उर्वरक, कीटनाशक, मंडी आदि सहित इनपुट लाइसेंस जारी करने की सुविधा प्रदान करना ताकि वे कृषि-व्यवसाय उद्यमों के रूप में कार्य कर सकें।
v. पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए समर्पित एफपीओ एमआईएस पोर्टल।
vi. मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए साप्ताहिक वेबिनार और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

*****